न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः— शंकर लाल सैनी, RAS

अपील संख्या : 22 / 2018

1. चूकी देवी पत्नी स्व0 श्री सुजानाथ, जाति—नाथ, निवासी—कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं0 29, मोरिजा रोड, चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
2. राजू पुत्र स्व0 श्री सुजानाथ, जाति—नाथ, निवासी—कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं0 29, मोरिजा रोड, चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
3. सावित्री पुत्री स्व0 श्री सुजानाथ, जाति—नाथ, निवासी—कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नं0 29, मोरिजा रोड, चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।

अपीलान्ट्स,

बनाम

1. मनसुख पुत्र स्व0 श्री जगदीश, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
2. रिछपाल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
3. राधेश्याम पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
4. भगवनी पत्नी स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
5. कमली देवी पुत्री स्व0 श्री कन्हैयालाल, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
6. बनवारी पुत्र स्व0 श्री हनुमान, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
7. सीताराम पुत्र स्व0 श्री हनुमान, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
8. हजारी पुत्र स्व0 श्री हनुमान, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
9. महेश पुत्र स्व0 श्री हनुमान, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
10. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 श्री हनुमान, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
11. किशोरी पुत्री स्व0 श्री हनुमान, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
12. नानू पुत्र स्व0 श्री धोकलनाथ, जाति—नाथ, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला जयपुर।
13. महेश यादव पुत्र श्री गोपाललाल यादव, जाति—अहीर, निवासी—रामचन्द्रपुरा, तहसील—सांगानेर, जिला—जयपुर।
14. गौरीशंकर पुत्र श्री छीतरमल मीणा, जाति—मीणा, निवासी—चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चौमू, तहसील—चौमू, जिला—जयपुर।

रेस्पोंडेंट्स,

(अपील विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार, चौमू, जिला—जयपुर दिनांक 29.10.2004 जिसके द्वारा अपीलान्ट्स की भूमि का नामान्तरकरण रेस्पो. सं. 1 लगा. 12 के हक में नामान्तरकरण सं0 356 भरने का आदेश दिया।)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला—जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

उपस्थितः—

1. श्री संतोष कुमार, अभिभाषक, अपीलान्ट्स की ओर से ।
2. रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 लगा0 14 की ओर से कोई उपस्थित नही। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. पेरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 13.01.2022**

यह अपील अपीलान्ट द्वारा ग्राम चौमू स्थित वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्व0 धोकलनाथ पुत्र पन्नानाथ के फौत होने पर फौती नामान्तरकरण सं0 356 दिनांक 29.10.2004 (ग्राम चौमूं) द्वारा धोकलनाथ के पुत्र सुजानाथ के वारिसान को छोडते हुए शेष वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने पर पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कराया जा कर रेस्पोडेन्ट्स को नियमानुसार नोटिस जारी किये गये तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार, चौमू से वादग्रस्त प्रकरण से संबंधित मूल नामान्तरकरण प्राप्त किया गया।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

अपीलान्ट के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि धोकलनाथ पुत्र पन्नानाथ के 5 पुत्र क्रमशः जगदीश, कन्हैयालाल, हनुमान, सुजानाथ एवं नानू थे। जिनमें से नानू को छोडकर शेष सभी वारिसान (जगदीश, कन्हैयालाल, हनुमान, सुजानाथ) की मृत्यु हो चुकी है। जगदीश, कन्हैयालाल एवं हनुमान के वारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 11 है तथा नानू रेस्पोडेन्ट सं0 12 है। उक्त पक्षकारान के पूर्वज धोकलनाथ पुत्र पन्नानाथ की खातेदारी भूमि ग्राम चौमू में खेवट खतौनी सं0 219 नई एवं 418 पुरानी में ख0नं0 3763 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 3764 रकबा 0.74 हे0, ख0नं0 3769 रकबा 0.15 हे0 एवं ख0नं0 3779 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.15 हे0 में से अपीलान्ट्स के पिता सुजानाथ का 1/5 हिस्सा खातेदारी था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त फौती नामान्तरकरण खोले जाने के समय अपीलान्ट्स के अलावा अन्य सभी 4 पक्षकारान के वारिसान/पक्षकार के पक्ष में बिना सुनवाई के, बिना दस्तावेजों के अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट्स सं 1 लगायत 12 के पक्ष में फौती नामान्तरकरण खौल दिया गया। तहसीलदार चौमूं द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर विधि विरूद्ध तस्दीक किये गये वादग्रस्त नामान्तरकरण को खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर कोई जांच पडताल नही की तथा रेस्पोडेन्ट्स से सांठ—गांठ कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामा0 खारिज किया जावे। वादग्रस्त नामान्तरकरण के तस्दीक किये जाने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादग्रस्त भूमि को रेस्पोडेन्ट सं0 13 एवं 14 को विक्रय कर दिया। अतः गलत इन्द्राजात के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 के हक में जो विक्रय पत्र पंजीवद्ध करवाया गया है उसे भी शून्य प्रभावी घोषित किया जा कर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावें।

दिनांक 16.06.2010 को रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय करना बताने पर उन्हे उक्त तथ्य की जानकारी हुई तथा दिनांक 18.06.2010 को राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त उनके द्वारा अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसको कण्डोन करते हुए धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगा0 12 व 13 तथा 14 की ओर से अधिवक्ता/रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि धोकलनाथ की मृत्यु दिनांक 15.12.1974 को होने पर कुर्सीनामें के आधार पर वादग्रस्त नामान्तरकरण तत्कालीन तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया है, जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में यह अंकन किया गया है कि रेस्पोडेन्ट सं0 13 व 14 द्वारा वादग्रस्त भूमि को क्रय कर लेने की जानकारी देने पर उन्हें वादग्रस्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जिसके आधार पर उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायहित में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में अंकित कथन को उचित मानते हुए अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण को अन्दर मियाद शुमार माना जाता है ।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया था, परन्तु रेस्पोडेन्ट अथवा उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के तारीख पेशियों पर उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। रेस्पोडेन्ट्स अथवा उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण में ना तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है बल्कि वे तारीख पेशियों पर अनुपस्थित रहे है।

अपीलान्ट्स द्वारा दस्तावेजी सबूत के रूप में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, चौमू, जिला–जयपुर में रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये दावें की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई है, जिसमें अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स का सजरा खानदान अंकित किया गया है। प्रस्तुत दावें में अंकित सजरा खानदान के अनुसार स्व0 धोकलनाथ पुत्र पन्नानाथ के 5 पुत्र होना स्पष्ट है, परन्तु यह स्पष्ट है कि तत्कालीन तहसीलदार चौमूं द्वारा मौके पर ना तो कोई जांच पडताल की गई ना ही स्व0 धोकलनाथ पुत्र पन्नानाथ के वारिसान का कोई सजरा खानदान तैयार किया गया है। तत्कालीन तहसीलदार, चौमू द्वारा तथ्यों के विपरीत जा कर बिना जांच पडताल व साक्ष्यों के अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि विरूद्ध रूप से तस्दीक किया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, चौमू द्वारा दिनांक 29.10.2004 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं0 356 ग्राम चौमू को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, चौमूं को प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को पुनः सुनकर साक्ष्यों की गहन जांच–पडताल कर विधि अनुरूप नये सिरे से निर्णय पारित करें। जिला अभिलेखागार (भू.अ.) जयपुर से प्राप्त मूल नामान्तरकरण पुनः लौटाया जावें।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.01.2022 को सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर